पत्र सं० / 283(ii) / 17–18 / (जी0एस0टी0–अनुभाग) / वाणिज्य कर, मुख्यालय।
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0
(एडी0कमि0–जी0एस0टी0–अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 3 :: जुलाई , 2017

समस्त जोन एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः– जी0एस0टी0 व्यवस्था के अन्तर्गत इनवायस जारी किए जाने के सम्बन्ध में।

दिनांक 1 जुलाई 2017 से जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त फील्ड स्तर से विभिन्न व्यापारियों, व्यापारिक संगठनो आदि द्वारा बार–बार यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि जी0एस0टी0 व्यवस्था के अन्तर्गत इनवायस किस प्रकार जारी की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार इनवायस जारी किए जाने हेतु कोई फोर्मेट निर्धारित नहीं किया गया है। अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान इस सम्बन्ध में निम्नवत है।

1– **टैक्स इनवायस जारी किए जाने के सम्बन्ध में**

पंजीकृत व्यापारी द्वारा (समाधान योजना अपनाने वाले व्यापारियों को छोड़कर) करयोग्य माल की बिक्री के लिए टैक्स इनवायस जारी की जानी है। जिसमें निम्न सूचनाएं अंकित होनी चाहिए।

i- आपूर्तिकर्ता (विक्रेता) का नाम, पता व GSTIN

ii- इनवायस क्रमाक जो अधिकतम 16 डिजिट का हो सकता है तथा जिसमें अंक व अक्षर एवं विशिष्ट चिन्ह जैसे–हाइफन, स्लैश, या इनका संयोजन हो सकता है। यह क्रमाक क्रमागत होना चाहिए तथा पूरे वर्ष के लिए क्रमागत श्रृंखला में होना चाहिए।

iii- प्राप्तकर्ता (क्रेता) का नाम और पता एवं GSTIN (पंजीकृत होने की स्थिति में)

iv- जारी करने की तिथि।

v- प्राप्तकर्ता (क्रेता) के अपंजीकृत होने की दशा में आपूर्ति का मूल्य रू0 50 हजार से अधिक होने पर उसका नाम व पता, डिलीवरी का स्थान व राज्य कोड।

vi- वस्तुओं या सेवाओं का विवरण मात्रा, इकाई एवं उसका मूल्य।

vii- एच0एस0एन0 कोड।

viii- कर की दर एवं वसूले गए कर की धनराशि ' SGST,CGST,IGST अलग–अलग।

ix- अर्न्तराज्यीय(Inter State) बिक्री होने पर प्लेस ऑफ सप्लाई और राज्य का नाम

x- डिलीवरी का स्थान प्लेस ऑफ सप्लाई से भिन्न होने पर व डिलीवरी का पता।

xi- क्या टैक्स रिवर्स चार्ज के आधार पर देय है।

xii- आपूर्तिकर्ता(बिक्रेता) अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर क्रमांक (viii) पर अंकित एच0एस0एन0 कोड डेढ़ करोड़ से ऊपर के व्यापारियों द्वारा दो अंकों का भरा जाना है, जबकि 5 करोड़ के ऊपर के व्यापारियों द्वारा एच0एस0एन0 कोड चार अंकों का अंकित किया जाना है। रूपये डेढ़ करोड़ तक के लिए कोई एच0एस0एन0 कोड भरना अपेक्षित नहीं है।

क्रमांक, (ix) व (x) पर अंकित सूचना केवल सुसंगत मामलों में ही दर्ज की जानी है। टैक्स इनवाइस 3 प्रतियों में जारी की जानी है जिसकी मूल प्रति प्राप्तकर्ता(क्रेता) को प्राप्त करायी जायेगी एवं द्वितीय प्रति माल के परिवहन के लिए ट्रान्सपोर्टर को दी जायेगी एवं तृतीय प्रति पूर्तिकर्ता (बिक्रेता) द्वारा अपने रिकार्ड में रखी जायेगी।

2. **<u>बिल ऑफ सप्लाई</u>** :– बिल ऑफ सप्लाई केवल पंजीकृत व्यापारी द्वारा करमुक्त माल की बिक्री हेतु या समाधान योजना अपनाने वाले व्यापारियों द्वारा सभी प्रकार के माल हेतु जारी की जायेगी तथा इसमें निम्न सूचनाएं आवश्यक हैं।

i- आपूर्तिकर्ता (विक्रेता) का नाम, पता व GSTIN

ii- इनवायस क्रमांक जो अधिकतम 16 डिजिट का हो सकता है तथा जिसमें अंक व अक्षर एवं विशिष्ट चिन्ह जैसे–हाइफन, स्लैश, या इनका संयोज़न हो सकता है। यह क्रमाक क्रमागत होना चाहिए तथा पूरे वर्ष के लिए क्रमागत श्रृंखला में होना चाहिए।

iii- प्राप्तकर्ता (क्रेता) का नाम और पता एवं GSTIN (पंजीकृत होने की स्थिति में)

iv- जारी करने की तिथि।

v- एच0एस0एन0 कोड।

vi- वस्तु या सेवा का मूल्य

(एच0एस0एन0 कोड केवल डेढ़ करोड़ टर्न ओवर से अधिक के व्यापारियों के द्वारा दो डिजिट में अंकित करना अपेक्षित है तथा 5 करोड़ टर्न ओवर से अधिक के व्यापारियों द्वारा 4 डिजिट में अंकित करना आवश्यक है। डेढ़ करोड़ तक टर्न ओवर के व्यापारी के लिए एच0एस0एन0 कोड अंकित करना अनिवार्य नहीं है।)

vii- आपूर्तिकर्ता (विक्रेता) अथवा अधिकृत प्रति निधि के हस्ताक्षर।

उपरोक्त प्राविधानों से स्पष्ट है कि माल की आपूर्ति/बिक्री के लिए टैक्स इनवाइस अथवा बिल ऑफ सप्लाई जारी किया जाना है जिसके लिए कोई प्रारूप निर्धारित नहीं किया गया है केवल टैक्स इनवॉइस तथा बिल ऑफ सप्लाई में उपरोक्त सूचनाएं अंकित की जानी है तथा उपरोक्त सूचनाओं के अंकित किये जाने हेतु किसी

भी प्रोफार्मा में टैक्स इनवाइस अथवा बिल ऑफ सप्लाई मुद्रित कराकर जारी किया जा सकता है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि टैक्स इनवाइस अथवा बिल ऑफ सप्लाई कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर से जारी किया जाना आवश्यक नहीं हैं बल्कि यह कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर से या मैनुअली किसी भी प्रकार जारी किये जा सकते हैं। भ्रम निवारण के लिए टैक्स इनवाइस दो प्रोफार्मा प्रारूप एवं बिल ऑफ सप्लाई का एक प्रोफार्मा प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है, जो केवल सुझाव हेतु है व्यापारी अपनी सुविधानुसार एवं आवश्यकतानुसार वांछित सूचनाएं किसी भी क्रम में टैक्स इनवाइस एवं बिल ऑफ सप्लाई पर अंकित कर सकते हैं तथा जो सूचनाएं उनके मामले में अपेक्षित नहीं है उनके बिना बुक मुद्रित कर सकते हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्राविधानों से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए व्यापारियों में इसका पर्याप्त प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करें तथा इस सम्बन्ध में आ रही जिज्ञासाओं का हेल्प डेस्क के माध्यम से एवं अन्य संवाद व संचार माध्यम से निवारण करायें। प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से स्थानीय समाचार पत्रों में यह सूचना प्रेषित की जाये। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

<u>संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय,

3/07/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0 संख्या दिनांक व विषयक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3/7/2017

एडीशनल कमिश्नर (जी0एस0टी0)

वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश लखनऊ

(कर की विभिन्न दरों की आपूर्ति होने पर)
(केवल सुझाव के रूप में)

ABC & Com. Pvt. Ltd.
123 / 15 Govind puri ghaziabad uttar pradesh

GSTIN:															

Tax Invoice

Invoice No: **Date of Issue:**

Recipient/Buyer's Name:	**Consignee's Name** ....
Address..........................	(If different from Recipient)
	Address.........................
Name of state & code....................	Name of state & code ....
GSTIN....................	GSTIN ....
(In case of being reg. dealer)	(In case of being reg. dealer)
Place of Supply....................	

S.No.	Description of Goods	HSN Code	Qty./ Unit	Unit Rate	Amount (Rs.)

GST Rate	Assessable value	CGST (In Case of Intrastate)	SGST (In Case of Intrastate)	IGST (In Case of Interstate)	Cess	TOTAL
5%						
12%						
18%						
28%						
Cess@						
Total						

Signature of Supplier/Authorized Representative